MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments, Amendments (Nos. 1 & 2) by Dr. T. Subbarami Reddy, he is not present.

Clause 2 was added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the bill

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the Motion was adopted.

The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a very important point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me move to the other Bill and then, I will come to you. Let us now take up the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is very important. This is for the House to know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have moved to the other Bill.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is for the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House was not in order, so I have not entertained it. Please take your seat.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have written to you. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have time to listen to the speeches, not to read it. I have said this. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, please move the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I move:

> "That the Bill to provide for merger of Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and for matters connected therewith, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री जी. किशन रेड्डी: उपसभापति जी, सरकार ने दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, दोनों Union Territories को मर्ज करने का निर्णय लिया है, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन बहुत कम है। दादरा और नागर हवेली की जनसंख्या 3.43 लाख है और दमण और दीव की जनसंख्या 2.43 लाख है। इन दोनों की मिलाकर लगभग 5 लाख 86 हज़ार पॉपुलेशन है। इन दोनों स्टेट्स की जनसंख्या बहुत कम है। उपसभापति जी, अगर इतिहास देखेंगे तो भी इन दोनों स्टेट्स की भाषा एक ही है। इससे पहले भी ये दोनों स्टेट्स गोवा से मिले हुए थे। इन्होंने गोवा के गवर्नर के administration के अंडर काम किया है और ये दोनों ही Portuguese के रूल में थे। नागर हवेली के निवासियों ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखें। ...**(व्यवधान)**...

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, इन्हें Portuguese शासन से आजादी मिली थी। वर्ष 1954 से 1961 तक इस क्षेत्र का प्रशासन स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली वरिष्ठ पंचायत के नाम पर सिटिजन काउंसिल द्वारा शासन चलाया गया था। वर्ष 1961 में इसका भारत गणतंत्र, रिपब्लिक इंडिया में मर्जर किया गया और इसे यूटी बनाया गया, जबकि दमण और दीव को भारतीय सेना द्वारा दिसंबर, 1961 में Portuguese के शासन से स्वतंत्र किया गया था। Administratively, दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली, दोनों एक ही administration के थे। वर्ष 1962 से लेकर 1987 तक Lieutenant Governor, गोवा, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के ex-officio administrator होते थे। उसके बाद भी 1992 तक गोवा के गवर्नर को दोनों यूटीज़ के administrator के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद सिविल सर्वेट्स को administrator के रूप में पोस्टेड किया गया। महोदय, 1960 के अंत तक, 1970 के प्रारंभ तक यहाँ की 5 लाख, 86 हजार पॉपुलेशन के लिए दो स्टेट्स, दो सचिवालय थे, मगर एक ही ऑफिसर्स दो जगह थे, जिन्हें तीन दिन एक जगह जाना पड़ता है और दो दिन एक जगह जाना पड़ता है | Administrator हो, Administrator के एडवाइजर हों, सेक्रेटरीज़ हों, एक ही ऑफिसर को दो स्टेट्स में घूमना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दमण और दीव में ऑफिसर्स Monday, Wednesday, Friday अवेलेबल रहते हैं, दादरा और नागर हवेली में Tuesday, Thursday अवेलेबल रहते हैं। ऑफिसर्स हफ्ते में तीन दिन एक जगह और दो दिन एक जगह घूमते रहते हैं। इसके कारण प्रशासन की कुशलता नहीं बढ़ रही है। ऑफिसर्स थक जाते हैं, उन्हें हर दिन 600 किलोमीटर journey करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि इन दोनों स्टेट्स को एक करना है। उन लोगों की सरकार से पहले ही सिविल सोसायटीज़ ऑफ टू स्टेट्स, दो स्टेट को एक करने की माँग थी। उनकी यह भी माँग थी कि दोनों की संसद को एक करना है। एक administrative convenience, speedy development और कुशल प्रशासन के लिए इन दोनों स्टेट्स को एक करने की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से हमारी सरकार के सामने है, इसलिए

मैं संसद के सामने यह बिल लाया हूँ। मैं आदरणीय सांसदों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि administrative कुशलता के लिए यह बिल लाए हैं, speedy development के लिए लाए हैं, विकास के लिए लाए हैं। वहाँ जनता के लिए भी ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। हफ्ते में दो दिन अवेलेबल रहते हैं और एक जगह तीन दिन अवेलेबल रहते हैं। इसके कारण आने वाले दिनों में जनता के लिए एक ही जगह वीक में फाइव डेज़ ऑफिसर्स अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ-साथ ऑफिसर एक है, लेकिन administration अलग-अलग है। इससे फिज़ूलखर्चा भी कम होगी, expenditure भी कम होगा।

(सभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

इसलिए दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव को merge करने के लिए सरकार का जो प्रयास है और उसके लिए जो यह बिल लाया गया है, इसको पास करने के लिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करता हूँ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): सर, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, ये जो दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन दोनों को एक बनाने के लिए यह बिल है। मुझे थोड़ा अजीब-सा इसलिए लग रहा है, क्योंकि एक strategy ऐसी होती है कि जो छोटे यूनिट्स होते हैं, वे administratively ज्यादा असरकारक होते हैं। You can manage them better compared to a bigger one. सर, बॉम्बे स्टेट के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों एक ही स्टेट थे। We demanded a separate State in 1956 and around 1961 we got our own State. One of the reasons was that Gujarat was lacking in development because it was a huge State as Bombay State. At that time, it was right up to Mt. Abu. When it was divided, we got our own State.

सर, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, ये दोनों अभी छोटी-छोटी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि छोटे यूनिट्स administratively और भी ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन इस बिल के अंदर दर्शाए गए जो stated objectives हैं, they are: better delivery of services to the citizens of both Union Territories by improving efficiency and reduction in paper work-reduction in administrative expenditure; bringing uniformity in policies and schemes; better monitoring of schemes and projects- and better management of cadres of various employees. These are the stated objectives for merging these two units into one. I have my own doubts. Even despite having such a small unit — सर, आज से कुछ साल पहले ही दमण में अपने आप एक ब्रिज गिर गया। एक स्कूल बस, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे थे, तीन-चार दिन बाद उस बस का ठिकाना पता चला, क्योंकि उस नदी के flow में पूरा ब्रिज गिर गया था। इनको एक करने से करप्शन का लेवल घटेगा, ऐसा

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। हमारी स्टेट में ये यूनियन टेरिटरीज़ दो चीज़ों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। सिलवासा और नागर हवेली में टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा हिस्सा कम है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के कारण वह सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। इसी वजह से इस बात का सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रीज ने उठाया था कि सभी ने अपने ऑफिसेज़ सिलवासा के अंदर, नागर हवेली में खोले थे, जिसकी वजह से गुजरात स्टेट को उस वक्त सबसे ज्यादा revenue loss हुआ था। Finally, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़रा ठीक किया, तब उसकी वजह से वह थोड़ा कम हुआ।

दूसरा, हमारे यहाँ दमण और दीव के अंदर सबसे ज्यादा attraction इसलिए है, क्योंकि वहाँ शराब की खुली बिक्री होती है और सिलवासा में भी खुली बिक्री होती है। वहाँ लोग इतवार के दिन जाते हैं और वहाँ से शराब पी आते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर शराबबंदी है। इस वजह से, गुजरात से कभी-कभी जो पूरा flow बाहर जाता है, वह या तो सीधे राजस्थान के उदयपुर और माउंट आबू जैसी जगहों की तरफ जाता है अथवा साउथ में दीव, दमण या सिलवासा के अंदर जाता है, because वह वहाँ available है। लेकिन, इन stated objectives में से एक objective ऐसा भी है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके कारण सरकार के पैसे बचेंगे। इसके अंदर वह स्टेटमेंट नहीं दी गई है। आपकी कितनी बचत होगी, आप किस तरह effective administration कर सकेंगे, इसका कोई उल्लेख इसके अंदर नहीं दिया गया है। हाँ, इसकी जितनी liabilities हैं, जो नया यूनिट बनेगा, उसके अंदर वे सब दी गई हैं। मुझे एक रीजन यह भी समझ में नहीं आता कि इसमें जो केसेज़ वगैरह हैं, उनका jurisdiction Bombay High Court में क्यों गया है? उसे गुजरात हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं डाला गया? यूनियन टेरिटरीज़ की लैंग्वेज भी गुजराती है, वहां के लोग भी गुजराती बोलते हैं और ज्यादातर व्यवहार भी गुजरात के साथ है, मुम्बई के साथ भी है, लेकिन jurisdiction मुम्बई हाई कोर्ट के बदले गुजरात हाई कोर्ट में डालना था, ऐसा मेरा मानना है।

Sea coast के बारे में बात कहूं तो sea coast के हिसाब से उसकी एक अलग इम्पॉर्टेस है, लेकिन दमन की एक दूसरी भी पहचान है, क्योंकि सबसे ज्यादा नामचीन स्मगलर्स दमन के अंदर होते थे और स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ इस इलाके में पुरजोर तरीके से चलती थीं। स्मॉल यूनिट होने के बावजूद भी वक्त की सरकारें उसके बाद के यूनिट को कंट्रोल नहीं कर पायी थीं। ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। सिलवासा के ऊपर के भाग के अंदर जो मधुबन डैम बना हुआ है, उस मधुबन डैम के पानी से जो खेती होनी चाहिए, उसकी और विकास की दृष्टि से अगर देखने जाएं तो वहां पर मेरे हिसाब से जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। इसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि इसको एक यूनिट करने से उसमें ज्यादा कोई असर होगा, गरीबी घटेगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज़ वहां पर आएंगी,

आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुलभ रहेगा, ऐसा मानना कि इसको एक करने से ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। डायकोटॉमी यह भी है कि एक तरफ एक स्टेट को तीन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दिया गया और दूसरी ओर यहां पर दो यूनियन टेरिटरीज़ को एक कर रहे हैं। यह बिल्कुल अलग-सा लगता है कि एक स्टेट को मिटाकर आप तीन यूनियन टेरिटरीज़ कर रहे हैं और दूसरे में आप दोनों को इकट्ठा करके एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। यह आपकी जो सोच है, वह पता नहीं किसके ऊपर है। मैं तो इसलिए खुश हूं कि मेरी constituency, अमित भाई शाह जी...

श्री सभापति: वे सुन रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं तो इसलिए खुश हूं कि मेरी जो constituency थी, उसका जो एमएलए था, वह इनके के जाने के बाद में होम मिनिस्टर बना। If I am not wrong, he is also an Administrator in Daman and Diu. उनको एडमिनिस्ट्रेर के हिसाब से वहां पर काम करने का एक बड़ा फ़लक मिलेगा। I have my own doubts whether it is going to change much of the things which are intended or it is going to save much money which the Government intends to save. Thank you very much, Sir.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार का और विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का अभिनन्दन इसलिए करना चाहता हूं कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की लम्बी प्रतीक्षा देश के कई लोगों को थी और उसके कारण जो एक बैकलॉग बना था, एक अनुशेष बना था कि कई चीज़ें इसके पहले ही होनी चाहिए थीं, पता नहीं इतने सालों तक क्यों नहीं हुईं। ऐसी ही एक चीज़ आज इस विधेयक के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से हो रही है। हमारे देश में ऐतिहासिक कारणों से विभिन्न प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, मगर ये जो दो छोटे प्रदेश हैं, जो किसी ज़माने में पुर्तगीज़ सरकार के अंदर थे और उनको स्वाधीन होने के बावजूद भी वैसा का वैसा ही रखा गया, कुछ कारण थे, उनमें से गोवा अलग हो गया और एक राज्य बन गया। मगर इन दोनों को अपने-अपने एक अलग अस्तित्व की अनुमति मिल गई और ये दोनों प्रदेश यद्यपि एक-दूसरे के निकट होने के बावजूद भी वैसे के वैसे ही रहे। मैं मानता हूं कि जो एक ऐतिहासिक बैकलॉग था, आज इस बिल के माध्यम से हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं।

एक बात यह आती है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा और इस सरकार के द्वारा हम हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। सदन के सम्मुख जो बिल आया है, उसमें भी इसका उल्लेख है। मैं मानता हूं कि सही अर्थ में इस भावना को चरितार्थ करने वाला यह बिल है। इसलिए सदन को एकमुख होकर इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

मान्यवर, आज देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, उनको हम थोड़ा सा अलग रखें क्योंकि वे नए-नए प्रदेश हैं, वहां पर नई-नई रचना लग रही है। उसके अलावा जो प्रदेश हैं, उनकी भी कुछ एक category है। जैसे पांडिचेरी, जिसको आजकल हम पुदुचेरी कहते हैं और दिल्ली में विधान सभा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अण्डमान में विधान सभा नहीं है, किंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ एक दृष्टि से शहरी राज्य है और दो- दो राज्यों की राजधानी होने के कारण उसकी अपनी एक अहमियत है, अपना अस्तित्व है और अपनी अलग पहचान है। मगर लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव मिलकर जो बनने वाला केन्द्र शासित प्रदेश है, इनकी समस्याएं कुछ अलग हैं। सर, ये दोनों छोटे प्रदेश हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों जगह न विधान सभा है, न लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहां पर प्रशासक के माध्यम से काम होता है। इन दोनों प्रदेशों की समस्याएं कुछ अलग पद्धति की हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी तरफ आप सबका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज इस सदन के सम्मुख इस बिल के नाते यह विषय आया, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। जहां तक दादरा और नागर हवेली का विषय है, वहां पर पानी की काफी समस्या है। दमण में थोड़ा पानी दमणगंगा नदी के कारण उपलब्ध हो जाता है, लेकिन विशेष रूपसे दादरा और नागर हवेली में पानी की समस्या है।

सर, दूसरी बात यह है कि इन दोनों प्रदेशों को पर्यटन की दृष्टि से देखा जाता है। वहां पर कई पर्यटक जाते हैं, विमान सेवाएं भी दीव तक जाती हैं, मगर इसके बावजूद वहां पर पर्यटन के संदर्भ में जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि उस पर विशेष रूप से कुछ विचार होने की आवश्यकता है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि सामान्यत: किसी जमाने में केन्द्रशासित प्रदेशों को एक भ्रष्टाचार क्षेत्र के रूप में भी एक पहचान प्राप्त हुई थी। मैं मानता हूं कि जो केन्द्रशासित प्रदेश हैं और उस पर जनप्रतिनिधियों का जो नियंत्रण है, वह अगर कुछ कम है, तो ऐसी स्थिति आने की संभावना रहती है। उस दृष्टि से अगर यहां पर भ्रष्टाचार पनपने की संभावना कहीं न कहीं दिखती है, तो मैं मानता हूं कि उस संभावना की भी निश्चित रूप में चिंता करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक तरीके की असंवदेनशीलता भी हो जाती है। सर, कई बार छोटे-छोटे प्रदेशों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनका उल्लेख भी नहीं होता है। वहां पर रहने वाले लोगों की अपनी अस्मिता होती है, अपनी identity होती है। ये छोटे प्रदेश होने के बावजूद बहुभाषिक प्रदेश हैं। दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली में मराठी बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले भी हैं और कुछ मात्रा में गोवा का संपर्क भी था, तो कोंकणी बोलने वाले भी हैं। इन सारे प्रदेशों की जो अपनी छोटी-छोटी identities हैं, उनको भी बरकरार रखते हुए, उनको एक व्यापक सार्वदेशिक identity में

परिवर्तित करने की दृष्टि से भी कुछ काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, प्रशासनिक दृष्टि से इन सारे केन्द्र शासित प्रदेशों के बारे में एक Agmut Cadre चलता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और इस तरीके से उसका abbreviation बनता है, मगर मैं मानता हूं कि इस कैडर के संदर्भ में आई.ए.एस. के बारे में नए सिरे से विचार होने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि उस कैडर के बारे में भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। इस संदर्भ में जो लोक सभा में विचार हुआ था, उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया था, उसको हम सभी ने देखा होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही प्रासंगिक औचित्य का ध्यान रखते हुए दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली के स्वाधीनता संग्राम की कहानी सदन को बताई थी। मैं मानता हूं कि सदन को भी उसके बारे में आकलन बनाना चाहिए। वैसे दादरा और नागर हवेली के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और कुछ अन्य संगठनों के देशभक्त और समर्पित कार्यकर्ताओं ने एक समूह बनाया था और उस समूह के माध्यम से वर्ष 1954 में दादरा और नागर हवेली को मुक्त किया गया, स्वाधीन किया गया। वहां की जनता ने चुने हुए व्यक्ति को वहां पर एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया, मगर पुर्तगाल सरकार ने इसके बारे में कैफियत की, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर वह मामला थोड़ा-सा अटका रहा। वर्ष 1961 में आखिरकार वह इस प्रदेश का हिस्सा बना और वर्ष 1974 में उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। इस प्रदेश की जो भी इतिहास की कहानी है,उसमें श्री राजाभऊ वाकन्कर, श्री मनेरिकर, प्रसिद्ध इतिहासकार श्री बाबा साहब पुरन्दरे, संगीत के लिए जाने गए श्री सुधीर फड़के, ऐसे कई स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगातार दादरा और नागर हवेली के मुक्ति संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मान्यवर, मगर एक महत्वपूर्ण बिंदू इसमें यह है कि इन सारे स्वाधीनता सेनानियों को - सामने कांग्रेस के कुछ मित्र बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि वे भी इस संदर्भ में अंतर्मुख होकर सोचेंगे कि त्याग और त्याग में, समर्पण और समर्पण में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। वर्ष 1942 के संघर्ष में जो सहभागी हुए, वे भी आदर के पात्र हैं, वे भी स्वाधीनता सेनानी हैं और दादरा नागर हवेली के संघर्ष में जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, वे भी आदर के उतने ही पात्र हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दादरा और नागर हवेली तथा गोवा मुक्ति संग्राम के अंदर जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई - स्वर्गीय जगन्नाथ राव जोशी जैसे कई नेताओं का नाम इसमें लिया जा सकता है - मैं आज देखता हूं कि सदन के अंदर कई लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, कई लोगों को हम स्मरण करते हैं। पिछली सरकार के अंदर श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के बारे में तो हमने एक किताब निकाली थी, अन्यथा ऐसे लोगों को हम भूले बैठे थे। सर, केवल मात्र ideological untouchability के कारण उनकी विचारधारा अलग है। तो उनका किया हुआ त्याग, उनका किया हुआ समर्पण - इसको इतिहास में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। यह एक मान्यता प्राप्त thinking इस देश में थी। मैं खुशी ज़ाहिर करता हूं कि कम से कम यह पूरी thinking अब बदल गयी है, अब यह इतिहास का एक हिस्सा बना है।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

मान्यवर, बिन्दु यह है कि इन सभी स्वाधीनता सेनानियों की उपेक्षा 1985 में समाप्त हुई, यानी 1954 में स्वाधीन हुआ और उसके बाद लगभग 30 सालों के पश्चात जब श्री जयंतराव तिलक, जो हमारे देश में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजनेता थे - वे पहले हिन्दू महासभा में थे और बाद में कांग्रेस में आए - उन्होंने इसके बारे में एक दलील दी और आग्रह किया तो वहां की सरकार ने इन्हें स्वाधीनता सेनानी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब केन्द्र में आयी, तब सन् 2000 में इन्हें केन्द्र ने स्वाधीनता सेनानी के नाम से मान्यता दी। महोदय, त्याग को भी जब सरकार मान्यता नहीं देती तो त्याग और समर्पण की कोई कीमत नहीं होती। मैंने इस संबंध में कई लोगों से बात की, जिनमें से कुछ लोग 90 और 95 साल के हैं, आज भी उनकी कुछ मांगें हैं, जैसे सिलवासा में, जो स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था, एक जयस्तम्भ बनाने की उनकी मांग है। उसके लिए ज़मीन इकट्ठा करना, धन जुटाना - ये सब काम उन्होंने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब नया विलीनीकृत केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, यूनाइटेड केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, तब सिलवासा में इन स्वाधीनता संग्राम में सहभागी सेनानियों की स्मृति में एक जयस्तम्भ बनाने की मांग के संबंध में सोचा जाएगा। महोदय, वहां के गजट में इनके नाम अभी भी नहीं हैं। कई बार ये स्वाधीनता सेनानी वहां जाते हैं, अपनी पुरानी यादें उजागर करते हैं, लेकिन वहां का प्रशासन इनके प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए, वह नहीं होता है। इन्हें कुछ पहचान-पत्र मिले, ऐसी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि उसके बारे में भी चिंता की जानी चाहिए।

मेरा एक और अंतिम निवेदन है कि हमारी संसद के अंदर कई संसदीय समितियां होती हैं। वे लोग अंडमान जाते हैं, कभी-कभी असम जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं। संसदीय समितियों को कई बार केन्द्र शासित प्रदेशों में भी जाना चाहिए, उनकी चिंता करना भी आखिरकार इस सदन का और सदन के सदस्यों का काम है - विशेष रूप से राज्य सभा का, क्योंकि राज्य सभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार का प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं है, इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि समिति के सदस्य के नाते, समिति की कुछ बैठकें अगर हम दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा आदि अन्यान्य जगहों पर करते हैं तो उन प्रदेशों की जनता की पीड़ा के प्रति हमारी संवेदनशीलता उजागर होगी। मैं इस बिल के लिए सरकार का अभिनंदन करते हुए इसको समर्थन देता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनीष गुप्ता। आपके पास 6 मिनट का समय है।

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, I rise to support this Bill. But having said that, there are certain issues that, I think, should be flagged because these

territories are distinctly different to each other, there are enclaves and there are islands. The distance between Daman and Diu is more than 700 kilometres. So, we have to give a thought to the people of these territories. The people should be the arbiters of their own destiny. There is a case for having proper representation, a mini assembly in a suitable place so that people can decide what they want to do. We have seen the Statement of Objects and Reasons of this Bill. The Statement of Objects and Reasons have made pious statements on development, on reducing costs and delivery of services. Issue that has been raised is reduction in costs. In a country like ours, where there is a huge Budget, the Union Territories' Budget is ₹ 15,000-₹ 16,000 crores, whereas Daman and Diu has just a paltry Budget of ₹ 700-800 crores; the Dadra and Nagar Haveli have a Budget of about ₹ 1100 crores. The fact of the matter is this that the Standing Committee of Parliament has opined that over the years, there has been a reduction in outlays in the Budget. The Budget has been reduced. Only in the last year 2019-20, there has been an increase. So, this means that more moneys should be made available to these territories. Now, the issue which is going to come up as we have noticed, that regard to the employees who are already working, there are some fearful words used in the initial document, the Statement of Objects and Reasons, which is that people who are working in UTs will continue till further orders. Its meaning is that there is a threat that they will be moved. Now, Group 'C' and Group 'D' Services, who have smaller incomes have their children study in schools, etc. An aura of uncertainty has been introduced with this Bill. This is a very serious issue. Basically, the caste for a mini assembly is the main issue here. People have to travel long distance to Mumbai. For ordinary people, it is not possible to go all the way to Mumbai to seek justice. So reforms are required, like more modernity, more modernization and saving administrative costs. The officers have to move on alternate days from one territory to the other. Why not post the officers there? If you are serious about developing these territories, a more permanent administrative set up is required and it should be decentralized. The 73rd Amendment to the Constitution gives powers to the *Panchayats.* You see the States. In all the States, the *Panchayats* are spending a lot of money. A lot of development has taken place. We have to empower the people. And if we have to empower the people in these territories also, there is also a need to consider what they have to say. No political parties, no political leaders were consulted when this Bill was drawn up. This was necessary more so after 70 years of our Independence. We must involve the people more readily and more objectively in the future of the nation.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I welcome and support this Bill. There is only one thing. For administrative convenience and for the benefit of the people, they have done good things. Subject to correction, because I have not seen the map, I think it is very near to Gujarat. As per the Act, the Bombay High Court has been given the jurisdiction to these newly formed Union Territories. It may be verified and if it is possible, the jurisdiction may be given to the nearest High Court. If it is the Bombay High Court, definitely, it is already loaded and there is backlog of arrears. Our judiciary is known for arrears and delay. It may be avoided and it is up to the Central Government to examine, subject to correction. As our colleague has rightly put out, the Statement of Objects and Reasons should be very carefully worded. It should be made in such a manner to understand very easily the purpose for which the Bill is being brought in. Thank you, Sir.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, it is a very historic Bill, in fact, because it should have been resolved many years back. I would like to talk a little bit about history very quickly. In 1961—what Vinay Sahasrabuddheji was also talking about, the Operation Vijay—we were able to get back Dadra and Nagar Haveli and the fact there is of 1954, 1961, and then probably 1967, when the referendum on the Goa opinion poll was done. There was a possibility that they might have merged with Maharashtra and the whole thing could have closed. But then, at that point of time, they decided to stay as Union Territory and, today, when we bring both of them together, Dadra and Nagar Haveli as well as Daman and Diu, I want to share just a small demographic detail. Dadra and Nagar Haveli, 3,43,709 people; Daman and Diu, 2,42,911 people. The question is: if these small territories are merged together, would it not be better? It would be definitely better because totally, it would come to 5,86,620. To be very honest, it is smaller than even the size of Bhubaneswar. Considering that situation, I think it is in rightful sprit. If you look at it administratively, there are not a lot of changes that have happened. The fact is, the representation in Lok Sabha is as it is. In terms of services in UT, it is being merged. In terms of Advisory Committees being set up, it is being provided and facilitated. In terms of jurisdiction of High Court, it stays the same. Primarily, the duplication of work will reduce and at the end of the day, people will be able to execute better and the communication and the kind of work that they will be able to undertake with the Central Government, will be much better. Having said that, I would like to bring very quickly two or three points which will really help this Government going forward with this entire proposal. Now, if we are

5.00 P.M.

coming into a merger, what do we seek to achieve out of it? The first thing that we seek to achieve out of it is the tourism sector. Vinayji has already spoken about it. I will not take much time. But the fact is, Daman and Diu has a tremendous potential for tourism, especially, for the island that is existing there. A lot of people want to come in. But there are certain restrictions that are there, and it is not open. That could be opened up. Secondly, in terms of infrastructure, that could be looked into. Finally, because of this merger, the financial autonomy and the financial discipline that will come in, it will really help both the UTs to come together and function better. With this, Sir, on behalf of BJD, we support the Bill.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने तो इसकी कोई मांग नहीं की थी। वहां अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर "एम्स" जैसा अस्पताल नहीं है। वहां के लोगों को इलाज कराने के लिए मुम्बई जाना पड़ता है। हम लोग वहां पर गए थे। वहां पर तमाम फैक्टरियां हैं, वहां पर करीब 2,930 मंझोली और छोटी फैक्टरियां हैं। उनसे बहुत प्रदूषण होता है। वहां पर जो दमनगंगा नदी है, वह बहुत प्रदूषित नदी है और उस नदी में कोई जीव-जंतु नहीं है। सरकार गंगा सफाई की बात करती है, तो उस दमणगंगा नदी की भी गंगा नदी की तरह सफाई करनी चाहिए। इस नदी का पानी समुद्र में जाता है, इससे समुद्र भी प्रदूषित होता है और उसके किनारे बसे हुए लोगों को नुकसान होता है।

सभापति महोदय, वहां पर पंचायतें बनी हैं, नगर पालिकाएं बनी हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है। वहां पर सारा अधिकार कलेक्टर के पास है। कलेक्टर जो चाहता है, वह काम होता है और उनके उधर कोई काम ही नहीं हो पाता है। वहां के लोगों की मांग थी कि उनको स्टेट का दर्जा दिया जाए। अगर दोनों यूटीज़ को मिलाकर विधान सभा गठित कर दी जाए। चूंकि सरकार कहीं जोड़ने का काम करती हैं, कहीं तोड़ने का काम करती है। सूची में एक विधान सभा कम हो रही थी, इसलिए वहां पर एक विधान सभा बना देते, तो राज्यों की विधान सभा की सूची पूरी हो जाती। इस तरह से एक अलग राज्य हो जाता।

श्री सभापति: छ: लाख लोगों पर एक विधान सभा!

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सभापति महोदय, हम आपको वहां के लोगों की समस्याएं बताना चाहते हैं। वहां के जो प्रशासक हैं, वे वहां के लोगों की छंटनी कर रहे हैं, उनको

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

निकाल रहे हैं। उन लोगों के पास मकान नहीं हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि सिलवासा में एक हजार से ज्यादा लोगों के पास मकान ही नहीं हैं। वहां के लोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। वहां पर फैक्टरियों से बहुत ही प्रदूषित गैसें निकलती हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित रहता है। वहां पर 24 घंटे अंधेरा ही रहता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से हमने दिल्ली में तथा पूरे देश में फैल रहे प्रदूषण के बारे में चिता की थी, उसी प्रकार से वहां के प्रदूषण के बारे में स्पेशल चिंता करनी चाहिए। वहां के लोगों के की यही मांग है कि वहां पर विधान सभा गठित की जाए। वहां के जो आदिवासी लोग हैं, वे नाराज हैं। वे कह रहे हैं कि दोनों यूटीज को एक करने से हमारा नुकसान होगा। जितने भी वहां पर कांट्रेक्ट हैं, जितने भी वहां पर काम करने वाले लोग हैं, वे सब बाहर के लोग हैं। वहां पर जो लोकल लोग संविदा पर लगे थे, हजारों लोगों की छंटनी कर दी गई है। वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग 15-20 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया है। जब यहां पर उनके बारे में चर्चा हो रही है, तो इसको भी ऐड करना चाहिए कि जो आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए। जब आप इनको मर्ज कर रहे हैं, तो इसमें हस्तक्षेप करना होगा - चूंकि वहां एक प्रशासक दमण के हैं, वहां की जनता का दमन कर रहे हैं, वहां जनता चिल्ला रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि वहां टूरिज्म के अच्छे चांसेज़ हैं, दुनिया में टूरिज्म से अच्छी आमदनी होती है, इसलिए सरकार वहां टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अच्छा काम करे, तो अच्छा रहेगा, धन्यवाद।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. This Bill seeks the merger of Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Sir, the first Schedule to our Constitution talks about the States, Union Territories and States Territories. The Bill seeks to amend the first Schedule to the Constitution so as to merge two Union Territories. Sir, I need a clarification because here, an ordinary Bill is brought. The Bill seeks to amend the first Schedule to the Constitution. I don't know whether the Constitution can be amended with an ordinary Bill, whether a Constitution Amendment Bill is required. You are amending the First Schedule to the Constitution. I need a clarification on it. I may be corrected. I am not an expert on Constitution, but I seek an explanation from the hon. Minister.

Sir, I take this opportunity to appeal to the august House to discuss the situation that exists in our UTs. I come from Kerala. Near Kerala, we have got a Union Territory, Lakshadweep. In Lakshadweep, you can't imagine the kind of situation that exists there.

The people of Lakshadweep are mainly depending on Kerala. They consider Kerala as their motherland. They always depend on Kerala. When a patient from Lakshadweep dies in Kerala, that body is not being taken to Lakshadweep. There is no facility to bring back the body to Lakshadweep. Funerals take place in Kerala itself. The people of Lakshadweep are so worried on this and they always raise this issue. But, unfortunately, we could not resolve that very important issue.

Sir, I used to visit Lakshadweep time and again. When I went there once, I was travelling by a ship. I was asked by the authorities to jump into the sea! Because there is no wharf there. The ship can't be taken to the shore. Most of the situation in Lakshadweep is like that only. They will ask you to jump into the sea. There will be a small boat there; you may fall down into the sea or you may be saved by the boat. That is the situation that prevails over there.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, there is no super-speciality hospital facility in Lakshadweep. If a patient is affected by some serious disease, there is no proper facility for evacuating that patient to be taken to Kerala. If he is taken to Kerala and dies, his body will not be taken back to Lakshadweep. It is pathetic. There is no proper education facility also over there. No technical institutions are there. It mainly contains poor fishermen. They depend on fishing. They are subjected to the loot by the middlemen. When the fishermen go in small boats, their catch is being sold in deep seas itself.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I have to call the next Member. You have exceeded the time.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, if a mother ship is provided to them, they will be saved. I am requesting the Government to resolve all these issues. I also demand you to give the status of a State to Lakshadweep with a mini Assembly. Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल बहुत ही जरूरी इसलिए है, क्योंकि जो दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन दोनों का जो साइज़ है, जो पॉपुलेशन है और वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें जो खर्च होता है, वह बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने वहां सैक्रेटरीज़ हैं, वे दोनों जगह कॉमन भी हैं। इसलिए इस बिल के पास हो जाने से

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

फायदा यह होगा कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में सहूलियत होगी और पब्लिक को भी सुविधा होगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि एक यूनियन टेरिटरी में एक डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसलिए वहां जो cadre हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो। जो ऑल इंडिया cadre है, उसकी पोस्टिंग तो यहां से हो जाएगी, लेकिन वहां जो district cadre बना हुआ होगा, जिसमें लोकल C और D ग्रुप के जो cadre होंगे, उनके बारे में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें ऐसा महसूस न हो कि उन्हें इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, जो दूर पड़ेगा। उसे देख लिया जाए। बाकी यह बिल बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, I thank you for permitting me to speak on this.

I stand here to welcome the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019. Sir, the Daman and Diu under the Portuguese rule was liberated in 1961 and till 1987 it was with Goa as a Union Territory. Later, in 1987, when Goa was given the statehood, Daman and Diu became a Union Territory. And, Dadra and Nagar Haveli was occupied by the Portuguese since 1783 and got liberated itself in 1954. Later, it was administered by a local citizens' group. And, in 1961 it was merged with the Republic of India and was also made a separate Union Territory.

Sir, experiences have made to realize that having two administrative and constitutional entities have resulted, in as mentioned in the Bill, duplicacy, inefficiency and cost of more expenditure. And, as an administrative reform, the Government has taken a very right decision and it is to be justified. We support the cause.

Making use of this opportunity, I would appeal to the hon. Home Minister to consider the long pending demand that Puducherry Union Territory could be given Statehood. To support this, I would like to give one or two statistics, because it is justified and genuine demand since long. The Gross State Domestic Product of Puducherry outshines the national economy. The growth rate of UT's GSDP in 2017-18 is 11.4 per cent, whereas, the national average is only 7 per cent. So also, comparatively, it exceeds some of the States. The GDP growth rate in 2016-17, Puducherry had 7.44 per cent, whereas, Arunachal Pradesh had 2.74 per cent. In the same way, per capita income of Puducherry is ₹ 1,35,763, Arunachal Pradesh is ₹ 89,217 and Telangana is ₹ 1,32,500. So, it excels two States in per capita income as well as

the GDP. It outshines even the national average. There are so many other genuine reasons to justify that Puducherry deserves Statehood and it has been a long-pending demand. I think the hon. Minister would consider it and give Puducherry UT a Statehood.

With these words, I support the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Biswajit Daimary. We are going from Bodo to Diu.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप प्रशासनिक सुविधा के कारण इसके लिए जो करने जा रहे हैं, वह ठीक ही होगा। इसके साथ ही, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं आपको वहीं, नॉर्थ-ईस्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिस तरह से यहाँ पर Union Territories, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर review करके, सुधार करने के लिए ऐसे बिल को लाया गया है, उसी तरह नॉर्थ-ईस्ट में भी under constitution Sixth Schedule Areas हैं, इसलिए वहाँ पर भी administrative convenience के लिए कुछ चिंता करनी चाहिए। मैं आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं। आज त्रिपुरा में एक 6th schedule है, "Tripura Tribal Area Autonomous Council" - शायद सभी को पता नहीं है कि त्रिपुरा एक अलग राज्य था, जिसको 1949 में सरदार वल्लभभाई पटेल जी द्वारा बात करके शामिल किया गया था और उसी समय, यह कमिटमेंट भी की गई थी कि वहाँ के लोगों पर भारत की तरफ से अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा। उनकी कला, संस्कृति और भाषा को भी रक्षा के साथ डेवलप करेंगे, लेकिन वहाँ के जो indigenous ट्राइबल लोग हैं, जो ओरिज़िनल लोग थे, वे लोग माइनॉरिटी बन गए हैं। उनकी भाषा संकट में है, उनकी जमीन, खेती- बाड़ी संकट में है। आज वे लोग नए राज्य की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आंदोलन भी किया था। 1984 में भारतीय संविधान के 6th schedule के अंदर एक कौंसिल दी गई थी, लेकिन उस कौंसिल को नॉर्थ-ईस्ट के बाकी राज्यों के जो प्रोविज़न्स हैं, जो वहाँ के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे, वे उन लोगों को नहीं दिए गए हैं। उन लोगों का फिर से मूवमेंट चल रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा उन लोगों की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है, हो सके तो उनकी कौंसिल को Union Territory बना देने से बहुत अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri V. Vijayasai Reddy — hon. Member not present. Then, Prof. Manoj Kumar Jha. Please just make a point.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I will just make a point. I will not take more than one-and-a-half minute.

ऑनरेबल चेयरमैन सर, यह मौसम थोड़ा merger, demerger, dismemberment का चल रहा है । मैं भी इसमें अपनी कुछ demands रख दूँ, शायद कभी तवज्जो हो जाए। 1966 में दमण और दीव के लिए ऐसी कोशिश हुई थी, गोवा के साथ एक referendum हुआ था। Referendum में यह हार गया था, लेकिन अब हम referendum नहीं कराते हैं। अभी मैं Statement of Objects and Reasons देख रहा था। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि भाषा और बोली में कई दफा फर्क होता है। अगर हम भाषा और बोली के फर्क को संजीदगी से नहीं देखते हैं, तो हम मानते हैं कि संस्कृति और भाषा एक ही है।

सर, मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूँगा कि time has come to have a States Reorganization Commission, once again. मैं खुद एक इलाके से आता हूँ, जिसकी एक लंबी संस्कृति है। सीमांचल से लेकर जनकपुर तक, मिथिलांचल का मामला है। बड़ी खुशी होगी, अगर मिथिलांचल राज्य हो। इसी तरह से बुंदेलखंड का मामला है। मैं समझता हूँ कि हम छोटे राज्यों पर वापस जाएँ।

सर, मैं आखिरी में एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। बचपन में General Knowledge में 'दादरा और नागर हवेली ' तथा 'दमण और दीव' को याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। अब तो और लंबा नाम हो गया है - दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव। या तो इसको कह दिया जाए - 4Ds. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: God save the Motherland! Now, Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Mr. Chairman, Sir, I would like to request the hon. Minister to clarify, while replying, whether a constitutional provision can be amended in such a way. When we look at the history of these three small, small territories — Dadar and Nagar Haveli, Diu and Daman. — we understand how diverse our country is. When India became free, these small parts of our country were not free. We have heard about the British imperialism. They were fighting the Portuguese imperialism. The people of these parts of the country had to fight in various ways. I am proud to say that the Communists also played a role in that fight against the Portuguese colonialism. Now, the Government is taking a good step to unite them. But, the people want more. It is quite obvious also. Now, these are going to become a bigger UT. But, in many UTs, there are demands for Assemblies. Tomorrow, they will demand for statehood because in many UTs it is the raj of Administrator. Whoever

comes there as an Administrator, he rules that place as a maharaja, no democracy, no discussion. My Comrade, Mr. Ragesh, told me about the Lakshadweep incidents. We know this place very well. It is an area that is very close to us. We are very close with them in our alliances, discussions and our way of living. The people of those areas are always complaining. There are no hospitals. There is no proper schooling. There is no proper development. There are no markets for the fish that they catch. Since these types of problems are there, the people are aspiring for more. So, I request the Government to consider having an Assembly there, at the earliest. And, that Assembly should discuss the matters in a democratic manner and try to do away with the raj of the Administrator. Administrators do not do anything for the welfare of the people. They work only for their own good. Most of them are corrupt.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सभापति महोदय, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव छोटे स्थान हैं, इनका merger तो होना चाहिए, परन्तु ये जितने छोटे हैं, नाम उतना ही बड़ा है। अगर हम दोनों को मिला कर इसका नाम दादरा द्वीप रख दें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। अगर merger ही करना है, तो गोवा के साथ merger करके पूर्ण राज्य बना दें, क्योंकि UT के रूप में राजशाही को बचाने का एक तरीका रखा गया है। यहाँ पर उनको जनता नहीं चुनती है, बल्कि होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल कर उस UT को चलाते हैं। देश आजाद हो गया, सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया, परन्तु वहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, अपना MLA चुनने का अधिकार नहीं है। वहां के लोगों को अपनी स्थानीय चीज़ों को चलाने के लिए अपना एमएलए चुनने का अधिकार भी नहीं है। हालांकि कुछ यूटीज़ में विधान सभा है, जैसे दिल्ली में है, परन्तु यहां भी आधे वोट ही काम में आते हैं। आधी से ज्यादा पॉवर तो एलजी साहब दबा कर रख लेते हैं। मैं यहां यह बताना चाहूंगा, Supreme Court की Constitutional Ben ने अभी एक ऑर्डर पास किया था कि police and land को छोड़ कर, सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन Supreme Court की Constitutional Bench के फैसले के बाद भी एलजी साहब ने Services रोक लीं और कहा कि Ministry of Home Affairs से एक चिट्ठी आई है कि Supreme Court से अलग से quash करवा कर लाओ। अब फिर से न्याय प्रणाली के अंदर एक लम्बा प्रोसीजर चलेगा।

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप गोवा या महाराष्ट्र के साथ इसका मर्जर करके, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दें, ताकि वहां के लोग अपनी सरकारों को चुन सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें।

श्री सभापति: अब हमें वहां पर नया विवाद खड़ा नहीं करना है। Dr. Amee Yajnik. Conclude, please. You are the last speaker.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

सर, यह जो बिल आया है, आदरणीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, लेकिन Statement of Objects and Reasons में लिखा गया है कि जो cost-cutting होगा, उसमें there will be less administrative cost. कई जगह और भी ऐसा लिखा गया है, जैसे Statement of Objects and Reasons में लिखा है, 'Minimum Government and Maximum Governance.' लेकिन यह कहीं नहीं बताया है कि ये जो दो छोटी Union Territories हैं, their social indicators have not been taken into account. दोनों ही जगह पर lowest sex ratio है। Roads are absolutely not in good condition and healthcare system has collapsed. If in the Statement of Objects and Reasons they do not take this particular aspect into consideration, then what is the use of saying about cost-cutting and, especially, when these two are very small territories having unique history and unique cultural aspects? We forget that when we talk about development — some persons here also spoke about development; विकास की बात कर रहे हैं -- तो these are the indicators of development, and if that is not figuring in the Statement of Objects and Reasons, I think, the Bill does not address these issues.

Second point, Sir, when we are talking of the people, there is also a psychological effect. I mean, many Members have spoken here, 'long name, short name, merging'. Yes, by and large, it would be easier but there is a psychological effect also at the ground level. So, what this Bill speaks about is, you are speaking about Administrator, it will be easy for the cadres, it will be easy for the officers to manage or govern these particular two Union Territories. But that does not reflect that what cost would be there for uplifting the social indicators of these particular two areas.

Sir, it is very easy to say 'Maximum Governance and Minimum Government.' But I do not want to take my colleagues here who have spoken about history, and, very conveniently, they speak about history that is okay with them. They do not speak about history that is really there on the ground; and they have forgotten that the social indicators do form a part of development, they do form a part of the governance model, and, I think, by and large, whatever is the reality today which is reflected everywhere in all spheres of the country because these two Union Territories are also part of the country, Sir, the development issue is writ large everywhere and people are questioning. I am not saying that I am in support of the Bill or against the Bill. But what a Bill should take into account is the people living in that area, and if those people's sentiments are not taken care of and if there is going to be only a top-down

approach and not a bottom-up approach when you are talking about governance issues, I think, this reflects that the Bill is somewhere missing and it is only talking of physically merging the Union Territories. And governing by way of an Administrator, it will be easy on cost-cutting but that does not say that 'Yes, we are going to uplift the lives of the people who are living here.' Maybe, there are two lakh or three lakh people, as somebody mentioned, but this psychological aspect, this social aspect is not given consideration in the Statement of Objects and Reasons.

Apart from this fact, whether the courts are in Mumbai or they are going to come there, somebody is definitely going to ask for a Bench there, that is not going to be the issue because there is another layer of taxation which will also come into aspect. What kind of taxation would be there and how are you going to deal with this? It is very easy to bring a small Bill and merging of two Territories. The last point that I would like to make here is that whenever there is an absence of rationale in these kinds of Bills, it definitely spills over, at a later stage, into issues which are difficult to handle.

I think the hon. Minister would definitely look into these issues and see how they can be addressed. Sex ratio is the lowest there; the girls' ratio is 618 and 744. That is the biggest worry in these areas. There is no mention in this Statement of Objects and Reasons whether this is going to be taken care of. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Mantriji.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय सभापति महोदय, detailed relpy तो मेरे साथी करेंगे, एक संवैधानिक स्पष्टता के लिए बिनोय विस्वम जी और रागेश जी ने जो कहा, इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

उनका कहना था कि इससे शैड्यूल 1 के अन्दर परिवर्तन होगा, तो यह 368 के तहत दो-तिहाई बहुमत के साथ संवैधानिक सुधार होगा या नहीं होगा। मान्यवर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके विलय करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 3ए को संविधान के अनुच्छेद 4(2) के साथ रख कर पढ़ा जाना चाहिए। 3ए के तहत कानून द्वारा संसद दो या अधिक संघशासित प्रदेशों को एकजुट करके एक नया संघशासित प्रदेश बना सकता है। यह 3ए का प्रोविज़न है। 4(2) का प्रोविज़न है कि 4(2) के तहत इस तरह के किसी भी कानून के परिवर्तन को 368 के प्रयोजनों के लिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जायेगा। तो यह constitutional amendment नहीं होगा। As a consequence, list of States and Union Territories change होगी। इसलिए इसमें संवैधानिक सुधार की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: राज्य मंत्री, श्री किशन रेड्डी जी।

श्री जी. किशन रेड्डी: चेयरमैन सर, आज इस बिल पर मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सांसद महानुभावों ने इस बिल के पक्ष में बात की। किसी ने भी अपोज़ नहीं किया। आदरणीय मधुसूदन जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मनीष गुप्ता जी, आदरणीय नवनीत कृष्णन जी, सम्बित पात्रा जी..

श्री सभापति: सस्मित पात्रा। ...**(व्यवधान)**... सम्बित वहाँ हैं। ...**(व्यवधान)**... सम्बित आपके साथ हैं, यहाँ नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जी. किशन रेड्डी: सस्मित पात्रा जी, विशम्भर प्रसाद निषाद जी, रागेश जी, राम चन्द्र प्रसाद जी, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। इस बिल के पक्ष में सभी लोग हमारे साथ हैं। आदरणीय तिरुची शिवा जी, आदरणीय बिश्वजीत जी, बिनोय विस्वम जी, आदरणीय सुशील जी और अमी याज्ञिक जी भी हैं। सबसे पहले यह बिल सबसे बातचीत करके, civil society ने सरकार को representation किया है। इसके साथ-साथ संसद के दो सदस्य, elected Members ने भी इस बिल के पक्ष में समर्थन किया है । जो administrators हैं, उन्होंने भी सरकार से request की है कि हमें administration में प्रॉब्लम हो रही है। अगर दोनों को मिलाकर एक UT किया जाए, तो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ऐसा उनका भी सुझाव है, इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसका नाम "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu" सबसे बातचीत करके रखा गया है, क्योंकि यह sentiment रहता है कि हमारा नाम नहीं जाए, इसलिए लोगों के sentiments को देखते हुए यह नाम रखा गया है। यह नाम थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ। आने वाले दिनों में क्या होता है, पता नहीं, मगर अभी तो सब लोगों के, स्थानीय लोगों के sentiments को देखते हुए यह बिल बनाया गया है।

इसके साथ-साथ हाई कोर्ट की भी बात की गयी है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसके नजदीक है, क्योंकि अहमदाबाद 400 किलोमीटर दूर है और मुम्बई 250 किलोमीटर दूरी पर है। इस दृष्टि से नजदीकी हाई कोर्ट, जो पहले से existing है, ऐसा ही है। मैं आपके द्वारा संसद सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इसमें administration में कोई बदलाव नहीं है । चाहे वह employees का हो, reservation का हो, administration का हो, employees की service का हो, इसमें कोई बदलाव नहीं है। Class-3 और Class-4 employees का भी ऐसा ही रहेगा। हाई कोर्ट के मामले में भी, there will not be any change in the jurisdiction of the High Court as the existing Union Territories come under the administration of the hon. High Court of Bombay. There are two separate constitutional and administrative entities, Administrators and Secretariats. Also, heads of certain departments function from two UTs on alternate days affecting their availability to the public; it also affects monitoring functioning of subordinate staff. The merger will not only ensure easy and convenient access to the public, but also fruitful utilisation

of the manpower, infrastructure and productivity. The merger will also ensure better delivery of the services to the citizens of the two UTs by improving administrative efficiency, reduction of paper work and reduction of administrative expenditure. The merger of parallel departments in the two UTs will ensure bringing more uniformity in policies and schemes. Better monitoring of schemes will ensure that the benefits reach all the intended beneficiaries. The merger will also ensure better management of cadre of various employees by way of providing more opportunities in career advancement and enhancing work and job satisfaction.

महोदय, अस्पताल के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जनवरी में एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। उसमें लोगों को अच्छी सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही एक पैरा मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत की गई है, एक नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत की जा रही है। The merger will lead to better delivery of services in future which will help in improving the health services. वहाँ पर अभी विनोबा भावे हॉस्पिटल already exist करता है और यह लगभग 700 बेड्स का हॉस्पिटल है। मर्जर होने के बाद इसको ठीक तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। दमन में जो मार्वार्ड हॉस्पिटल है, वह 185 बेड्स का हॉस्पिटल है। वहां नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी है। आदरणीय सदस्यगण जो समस्या उठाए हैं, उनके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि मर्जर के बाद वहां ठीक तरह से administration का काम होगा। Travelling expenditure of many national-level meetings, which are arranged by different Central Ministries, will be met by the combined UTs. अभी किसी मीटिंग या conferences में दो-दो टीम्स आती हैं, लेकिन मर्जर के बाद एक ही टीम आएगी और इससे expenditure भी कम होगा। इसके साथ ही दो अलग-अलग secretaries हैं, लेकिन ऑफिसर एक ही है, इससे भी दिक्कत होती है। एक ही ऑफिसर है और दो administrative set-up हैं, इस दृष्टि से भी यह काम कर रहे हैं। चूंकि दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसलिए दो सचिवालय हैं, डिपार्टमेंट सेटअप भी दो हैं, लेकिन ऑफिसर एक ही है। ऑफिसर को दो दिन एक यूटी में और तीन दिन एक यूटी में जाना पड़ता है और इस तरह से इस यूटी से उस यूटी में घूमने के कारण भी कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। चूँकि दोनों के लिए अलग-अलग विभाग हैं, इसलिए infrastructure और employees पर खर्च करना पड़ता है और इस प्रकार से दुरुपयोग होता है। दो यूटीज़ हैं, पर इनके लिए एक ही Administrator है, इसलिए इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, सिविल सोसाइटीज़ का भी यही मानना है कि इसका मर्जर होना चाहिए। आने वाले दिनों में यहां का administration ठीक तरीके से हो, supervision ठीक तरीके से हो, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो भी पैसा आता है, वह ठीक तरीके से utilize हो, infrastructure development हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। आने वाले दिनों में हेल्थ के बारे में भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। 'बेटी पढ़ाओ,

[श्री जी. किशन रेड्डी]

बेटी बचाओ', का जो कार्यक्रम है, इस मद में भी इन यूटीज़ में बहुत काम करने की जरूरत है। इसके लिए भी बहुत इश्यूज हैं। इन सबको यानि हेल्थ, एजुकेशन, industrialization, infrastructure, administrative सुविधा को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया गया है। मैं फिर एक बार सदन के सभी महानुभावों को सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, कोई अपोज़ नहीं किया है।

आदरणीय महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, just one clarification.

MR. CHAIRMAN: Once we take for consideration...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, what will be the language of the Administration?

श्री जी. किशन रेड्डी: दोनों स्टेट्स में जो existing languages हैं - क्योंकि वहाँ गुजराती में ज्यादा बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं और कुछ हिन्दी में बात करते हैं, इसलिए language में कोई नई policy नहीं है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am talking about Administration.

श्री जी. किशन रेड्डी: जो existing policy है, वही policy administration में रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to provide for merger of Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and for matters connected therewith, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 23 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up the Special Mentions. Shrimati Wansuk Syiem. प्लीज़ शांति बनाए रखें। जिनको निष्क्रमण करना है, शांति से करें।

Concern over implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana in the North Eastern States

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, in its earlier term, the NDA Government had launched many ambitious projects for the upliftment of the poor and needy including the *Pradhan Mantri Awas Yojana* launched on June 25, 2015 with the target of building 50 million housing units by 2022. Closer to the centre of power, most of the Northern States and the mainstream States benefitted from the scheme, with more awareness of the modalities of the scheme. The guidelines for the *Pradhan Mantri Awas Yojana,* since its launch in June, 2015, went through at least a dozen amendments over a period of one year. The then Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, now re-christened Housing and Urban Affairs, estimated that the Government needs to build 2.85 million housing unit a year (7,828 each day). Against 1.34 million houses approved till December 31, 2018, only the work on 1,52,000 houses has started. Out of 3596 cities covered by PMAY, only 1700 cities (less than half) have received approval. The Centrally-administered Territories and North-Eastern States have not received a single approval till date under the PMAY. The progress of the *Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)* which is a repackaged version of the earlier *Indira Awas Yojana,* is also lagging behind in execution. In 2015-16, against a target of 4.3 million units under the PMAY (Gramin), only 1.1 million units could be built. Under the *Indira Awas Yojana* during the two year period 2013-15, 3.48 million units were constructed. Now, the trend has slowed down under the PMAY (Gramin). I urge the Centre that all the North-Eastern States including Meghalaya are given their due share both in PMAY (Urban) and PMAY (Gramin) in equitable allocation of Centrally-sponsored projects.